—:: छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन ::—

————प्रधान कार्यालय, तृतीय तल, उद्योग भवन, रिंग रोड न0 – 01, रायपुर (छ0ग0)————

क्रमांक / छगवेका / मु0 / स्था0 / 2017–18 / 14841 **रायपुर , दिनांक** 13/10/17

::: आदेश :::

छ0ग0 स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के संचालक मंडल के 38वीं बैठक दिनांक 25.09.2017 के प्रस्ताव एवं ठहराव क्र0 38.11 में लिये गये निर्णय अनुसार–निगम के अधिकारी / कर्मचारियों (संविदा / प्रतिनियुक्ति / जॉबवर्क) को वित्तीय वर्ष 2016 –17 हेतु प्रोत्साहन राशि (पे बैण्ड + ग्रेड पे), निम्न अनुमोदित मापदंडो के अधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

1. जिन अधिकारी / कर्मचारियों के विरूद्ध संबंधित वर्ष में विभागीय जांच संस्थित की गई है, उन्हें प्रोत्साहन राशि देय नहीं होगी।
2. संबधित वर्ष के दौरान जिन अधिकारी / कर्मचारियों के विरूद्ध किसी भी प्रकार दण्डादेश जारी होने से पात्रता नहीं होगी, किंतु प्रोत्साहन राशि स्वीकृति दिनांक तक, यदि अपील में दण्डादेश निरस्त / अपास्त किया गया हो, तो उन्हें पात्रता होगी।
3. संबधित वर्ष के दौरान निलंबित हुये अधिकारी / कर्मचारी को पात्रता नहीं होगी।
4. संबधित वर्ष में शाखा के निरीक्षण / भौतिक सत्यापन में स्कंध कमी की गंभीर त्रुटि परिलक्षित होने पर प्रोत्साहन राशि की पात्रता नहीं होगी।
5. संबधित वर्ष में जिन अधिकारी / कर्मचारी पर रूपये 10,000 / – (अक्षरी–दस हजार रूपये) तक की भंडारण हानि प्रकरण में वसूली आदेश जारी किया गया है, उन्हें पात्रता होगी, किंतु भंडारण हानि की वसूली आदेश राशि 10,000 / – से अधिक होने पर, प्रोत्साहन राशि की पात्रता नहीं होगी।
6. यदि किसी अधिकारी / कर्मचारी को भंडारण हानि के प्रकरण में 01 बार प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है, उन्हें संबंधित वर्ष में (पिछले प्रकरण के कारण) प्रोत्साहन राशि से वंचित नहीं किया जावेगा।

तदानुसार, निगम के नियमित अधिकारी / कर्मचारियों (संविदा / प्रतिनियुक्ति / जॉबवर्क) को उपरोक्त निर्धारित मापदण्डों के अधीन दिनांक 31.03.2017 की स्थिति में "प्रोत्साहन स्वरूप राशि" 01 माह का वेतन (पे बैण्ड + ग्रेड पे) प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिन कर्मचारियों को बोनस की पात्रता होगी उन्हें प्रोत्साहन राशि देय नहीं होगी।

NKS
प्रबंध संचालक

क्रमांक / छगवेका / मु0 / स्था0 / 2017–18 / 14841 **रायपुर , दिनांक** 13/10/17

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ प्रेषित ।

01. निज सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, मु0–रायपुर।
02. निज सहायक, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, मुख्यालय रायपुर।
03. सचिव एवं महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, मुख्यालय रायपुर।
04. प्रबंधक (कार्मिक / वाणिज्य / तकनीकी / लेखा), कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, मुख्यालय रायपुर।
05. वेतन शाखा / भविष्य निधि / ग्रेच्युटी शाखा, छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, मु0–रायपुर।
06. समस्त शाखा प्रबंधक, छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन, मुख्यालय रायपुर।
07. निगम के वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
08. मास्टर नस्ती हेतु ।

NKS
प्रबंध संचालक

Bord 35 Baithak/ Run/LKS 10